Bentham : Utilitarian Concept of State, Right, Law

Part - 2

State: बेन्थम राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हॉब्स, लॉक, रूसो आदि के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धान्त की धारणा स्वीकार नहीं करता है। उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता नहीं वरन उपयोगिता है। इसी आधार पर राज्य की परिभाषा बेन्थम करते हुए कहता है कि - "राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जो लोगों के लिए उपयोगिता को बनाये रखने तथा उसकी अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है, अर्थात हित या सुख की वृद्धि के लिए स्थापित किया जाता है।"

स्पष्ट है कि राज्य में रहकर ही मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है, फलतः मनुष्य राज्य का निर्माण करता है और उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार बेन्थम का मानना है कि राज्य के अस्तित्व का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होनेवाली मनुष्य की आज्ञा पालन की आदत है, न कि सामाजिक समझौता का सिद्धान्त। मनुष्य आदतन राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि "अवज्ञा से होनेवाले अहित की तुलना आज्ञापालन अधिक उपयोगी है।"

इस प्रकार राज्य का लक्ष्य, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख" है। ~~बेन्थम~~ वह प्लेटो और अरस्तु की इस धारणा में विश्वास नहीं रखता कि राज्य का उद्देश्य एक शुभ और नैतिक जीवन की स्थापना करना है। बेन्थम का मानना है कि राज्य द्वारा साधा जाने वाला अधिकतम सुख राज्य के सदस्यों के व्यक्तिगत सुखों का एक योग मात्र है, इससे समस्त समाज का सामूहिक हित सम्मिलित ~~नहीं~~ है।" दूसरे शब्दों में बेन्थम के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलावा आदर्शवादियों की तरह राज्य का न तो अपना कोई निजी अस्तित्व है और न व्यक्तित्व। इसी आधार पर वह अपनी इस व्यक्तिवादी धारणा को प्रतिपादित करता है कि "राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं।"

Scanned with CamScanner

अतः राज्य के संबन्ध में बेन्थम की धारणा थॉमस पेन, लॉक आदि की तरह पूर्णतः व्यक्तिवादी और उदारिस्ट वह राज्य को व्यक्तिवादियों की तरह एक आवश्यक बुराई मानता है तथा चाहता है कि मनुष्य जीवन पर राज्य का नियंत्रण कम से कम हो

Right:

उपयोगितावादी दृष्टिकोण के कारण बेन्थम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता है और न उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करता है। उसका मानना है कि इन अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करने से समाज और व्यक्तियों का कोई हित साधन नहीं होगा। अतः उसका समाज और व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। बेन्थम की यह मान्यता थी कि अधिकारों का अस्तित्व और उनकी सार्थकता समाज के ही कारण है, क्योंकि उनका निर्माता समाज है और उसके निर्माण का उद्देश्य सुखमय जीवन की प्राप्ति है। अधिकार की परिभाषा करते हुए बेन्थम ने लिखा है कि "अधिकार मानव के सुखमय जीवन के लिए है, जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।" उन्होंने अधिकार के दो रूपों की चर्चा की है: (1) कानूनी अधिकार (2) नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार मनुष्य के बाह्य आचरण को और नैतिक अधिकार उसके आन्तरिक आचरण को नियन्त्रित करते हैं। साथ ही साथ उसने कर्तव्यों की भी चर्चा की है। उसका मानना है कि कर्तव्य रहित अधिकार निष्प्राण और महत्वहीन है। अतः कर्तव्य और अधिकार दोनों अपनी सार्थकता के लिए एक दूसरे पर आश्रित है।

Law:

अपनी उपयोगितावादी मान्यताओं को बेन्थम ने कानून के क्षेत्र पर भी लागू किया है। उसका मानना है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही एक ऐसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार सही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है।

Ajanta Officer

Scanned with CamScanner

क्योंकि मानव प्रकृति के अनुकूल होने के कारण ऐसे कानून ही सार्वभौम और कालातीत हो सकते हैं और किसी भी समय किसी भी देश में उनको उपयोगी ढंग से लागू किया जा सकता है। बेन्थम कानून के सन्दर्भ में परम्पराओं और रीति-रिवाजों को कोई विशेष महत्व नहीं देता है। उसकी मान्यता है की कि कोई वस्तु या कानून इसलिए उपयोगी और अच्छा नहीं माना जा सकता कि वह परम्पराओं पर आधारित है या प्राचीन समय से समाज में मान्य है। कानून के सम्बन्ध में अपने इस विचार के कारण उसने इंग्लैण्ड में कानून सुधार के एक बहुत बड़े आन्दोलन को जन्म दिया, क्योंकि इंग्लैण्ड के अधिकांश कानून "कॉमन लॉ" पर आधारित थे, जो कि पूर्णतः परम्पराओं पर आधारित था।

स्पष्ट है कि बेन्थम उपयोगिता को राज्य द्वारा बनाये जाने वाले कानूनों की कसौटी मानता है, क्योंकि उसके अनुसार कानून का सर्वप्रमुख कार्य 'सर्वहित' की भावना को इस प्रकार अनुशासित करना है, जिससे वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अधिकतम सुख प्राप्ति में योग दे सके।

बेन्थम राज्य को विधि निर्माता निकाय मानता है, इसलिए जनता के साथ उसका सम्बन्ध कानूनों के माध्यम से ही होता है। अतः उसके अनुसार कानून सम्प्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है। वह कानून के दो रूप ही स्वीकार करता है। प्रथम दैवी और दूसरा मानवीय। दैवी कानून अस्पष्ट है अतः उसे निश्चय पूर्वक नहीं जा सकता। इसलिए मानवीय कानून ही मानने योग्य है जो हमें सम्प्रभु के माध्यम से प्राप्त होता है। अतः सम्प्रभु के आदेशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है, क्योंकि उसके पालन में ही उसका तथा सभी का कल्याण निहित है।

Continue...

Scanned with CamScanner